



Neutral Citation No.- 2026:AHC:129374

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अधीन आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-6135/2026

डॉ. ओम प्रकाश सिंह

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: औशिम लूथरा, राजेश प्रताप सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शा.अधि.

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री औशिम लूथरा तथा श्री राजेश प्रताप सिंह के सहायता से श्री मनीष त्रिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्य-विपक्षीके लिए श्री रमेश कुमार, विद्वान अ.शा.अधि.को सुना।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 247/2018, धारा 7/13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना लाइनबाजार, जिला जौनपुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मुख्य चिकित्सा अधिकारी था और झूठे आरोप के आधार पर जांच के दौरान उसे सह-अभियुक्त राम चंद्र, जिसने कथित रूप से रिश्वत की राशि प्राप्त की थी और यहां तक कि रिश्वत की राशि उसके कब्जे से बरामद हुई थी और वह प्राथमिकी में नामजद भी था, के साथ इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी वर्ष 2018 में दर्ज की गई थी और जांच के दौरान सह-अभियुक्त राम चंद्र के बयान के माध्यम से आवेदक को अभियुक्त बनाया गया लेकिन जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने उसकी गिरफ्तारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तावित नहीं की, तथापि आवेदक ने जांच में पूर्ण सहयोग किया और उसकी गिरफ्तारी के बिना दिनांक 9.4.2026 को आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद संज्ञान लिया गया और नोटिस जारी किए गए।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को यह आशंका है कि यदि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उसे जेल भेजने का कोई अवसर नहीं है।
7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वह अब सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए।
9. इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अधि. ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया है।
11. तथापि, यह परिलक्षित होता है कि आवेदक मुख्य चिकित्सा अधिकारी था और अभियोजन पक्ष के अनुसार वह भी सह-अभियुक्त राम चंद्र के साथ वर्तमान अपराध में शामिल था लेकिन आवेदक प्राथमिकी में नामजद नहीं था और जांच के दौरान सह-अभियुक्त राम चंद्र, जो प्राथमिकी में नामजद था, के बयान के माध्यम से उसे अभियुक्त बनाया गया।
12. अभिलेख आगे यह दर्शाता है कि जांच के दौरान, तथापि, आवेदक ने पूर्ण सहयोग किया लेकिन अन्वेषण अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करने का प्रस्ताव नहीं किया और उसकी गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दाखिल किया गया।
13. प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह न्यायालय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत इस तर्क में गुण पाता है कि जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए सात वर्ष बाद उसे जेल भेजने का कोई कारण नहीं है।



- 14.आगे, आवेदक द्वारा उठाई गई गिरफ्तारी की आशंका को भी संबंधित न्यायालय द्वारा आजकल अपनाई जा रही सामान्य प्रथा को देखते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता।
- 15.आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
- 16.अतः, ऊपर चर्चा किए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय की राय में, आवेदक इस प्रकरण में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है।
- 17.तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक का वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
- 18.उक्त मुकदमा अपराधसंख्या में शामिल आवेदक-डॉ. ओम प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानतदारों सहित व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर विचारण की समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-
- आवेदक जब भी आवश्यक हो पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - आवेदक विचारण की अवधि में साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव/धमकी नहीं देगा;
 - आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो;
- 19.उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को आवेदक को दी गई जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।
- 20.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत देने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)



24 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!